कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र.

इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के कार्यालयीन समय में निविदा के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर दिनांक 29.12.2025 के दोपहर 02:00 बजे तक बंद लिफाफे में ''कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया'' के नाम से आवक–जावक अनुभाग में निविदा (कोटेशन) तथा जी.एस.टी का पृथक से उल्लेख करते हुए प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं/कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

:: निविदा आवेदन पत्र ::

क्र.		
01	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता/संस्था का नाम एवं पता	
02	दूरभाष नंबर/मोबाइल नंबर	
03	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
04	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जीएसटी क्रमांक	
05	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था, दतिया की अधिकृत संस्था है? यदि हाँ तो विवरण दें।	
06	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
07	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	
08	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम /खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी कोड सहित	
09	**(प्रारूप ए भरकर संलग्न करें)** वित्तीय प्रस्तावः– ए. सामग्री का विवरण बी. प्रतिनग राशि सी. जी.एस.टी डी. पुरानी बैटरी की कीमत ई. प्रतिनग कुल राशि रूपये एफ. **शुद्ध राशि**	

(प्रारूप ए)

क्र.	सामग्री का विवरण	प्रति नग राशि	जी0 एस0 टी0		प्रति नग कुल राशि	पुरानी बैटरी की कीमत	शुद्ध राशि
			प्रतिशत	रूपये			

निविदा शर्तेः–

01. सीलबंद निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के नाम से दिनांक 29.12.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। उक्त निविदा दिनांक 02.01.2026 को सायं 05:00 बजे निविदाकर्ताओं के समक्ष जिला न्यायालय में गठित क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी।
02. जिस सामग्री के संबंध में निविदा प्रस्तुत की जा रही है, उसका नाम निविदा फॉर्म पर स्पष्ट लिखा जावें।
03. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जावेगा।
04. आदेशानुसार सामग्री संबंधित स्थान तक पहुंचाए जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।
05. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को यह अधिकार होगा कि निविदा खोलते समय यदि किसी सामग्री की दर अन्य निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दरों से अपेक्षाकृत कम है तो ऐसी स्थिति में दरों के आधार पर एक से अधिक निविदाकर्ताओं से पृथक–पृथक अनुबंध किया जा सकता है एवं बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओं को निरस्त कर सकते हैं।

06. निविदा में इनवर्टर एवं बैटरी के संबंध में सम्पूर्ण स्पेशिफिकेशन, गारंटी/वारंटी कार्ड सहित (कंपनी का नाम आदि की जानकारी) अंकित करना अनिवार्य है।

07. निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर व सील होना आवश्यक है।

08. निविदाकार द्वारा दी गई सूची की सामग्री आवश्यकतानुसार स्वीकृत एवं मात्रा पर प्रदाय करने हेतु निर्धारित तिथि तक बाध्य होगा।

09. प्रदाय की गई कोई भी सामग्री चाही गई कंपनी की न होने पर ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर वापस उठाना होगा तथा कंपनी के अनुसार सामग्री अतिशीघ्र प्रदाय करनी होगी।

10. निविदा से संबंधित शर्ते एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है।

11. निविदा आवेदन पत्र मय शर्तों एवं सामग्री सूची तथा राशि 500/- डीडी/ ऑनलाईन के माध्यम से शासन के हैड में जमा कर चालान की मूलप्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के नाम से प्रस्तुत की जायेगी तथा राशि 500/- किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी।

12. सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर सामग्री निर्धारित अवधि में प्रदाय करनी होगी।

13. निविदा की दरें अनुबंध दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी।

14. निविदाकार, वाणिज्यकर/जीएसटी पंजीयन होने का जीवित प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें तथा साथ ही फर्म में आयकर अदा किया है उस पर कोई कर बकाया नहीं है स्पष्ट करें ।

15. निविदाकारों को सुरक्षा निधि के रूप में 5000/- (शब्दों में राशि पांच हजार रूपये मात्र) की एफडीआर निविदा के साथ जमा करनी होगी, जोकि दिनांक 31 मार्च, 2026 तक वैध हो। एफडीआर के अतिरिक्त कोई भी ईएमडी जमा करने पर निविदाकारों की निविदा निरस्त की जा सकती है। असफल निविदाकारों की एफडीआर निविदा की अंतिम वैधता की तिथि की समाप्ति के बाद नियमानुसार लौटाई जावेगी।

16. शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा।

17. सम्पूर्ण सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाऐं।

18. वित्तीय/तकनीकी लिफाफे-निविदाकर्ता पृथक-पृथक वित्तीय, तकनीकी एवं ईएमडी की राशिवाले लिफाफे तैयार कर उन पर वित्तीय/तकनीकी विड, ईएमडी लेख करते हुए उक्त तीनों लिफाफों को चौथे लिफाफे में मोहरबंदकर निविदा प्रस्तुत की जाएगी।

19. निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी विड एवं ईएमडी की राशि के लिफाफे खोले जाऐंगे, जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी विड से संबंधित चाहे गये आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय विड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाऐगा। तकनीकी विड में सफल निविदाकर्ताओं के ही वित्तीय पेड के लिफाफे खोले जाएगें।

20. निविदा द्वारा सामग्री की जो भी दरे दी गई है वह एक वर्ष के लिए यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

21. निविदा प्रस्तुत करने वाले इच्छुक विकेता प्रकाशन दिनांक से अंतिम तिथि तक प्रातः 11:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे के बीच श्री गौरव कुमार शर्मा, जूनियर सिस्टम एनॉलिस्ट, दतिया से मोबाईल क. 8839412214, श्री श्रीराम कुशवाह, जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, दतिया से मोबाईल क. 9098258516 पर आवश्यक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं।

22. उक्त सामग्री की सूची में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित है जिसमें कमी एवं वृद्धि हो सकती है। उपरोक्त सामग्री के कय की संख्या कम किये जाने अथवा बढ़ाये जाने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया का होगा।

23. किसी भी शर्त के भंग होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को अनुबंध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा सुरक्षा निधि राजसात कर दी जाएगी।

24. प्रशासकीय कारणों से उक्त निविदा किसी भी समय व किसी भी प्रकम पर बिना कोई कारण बताये प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।

25. नियंत्राधिकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया उक्त निविदा में विवाद में अंतिम निर्णायक होंगे।

संलग्न :- निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर........................

निविदाकर्ता का नाम एवं पता ....

....

निविदाकर्ता का दूरभाष/मोबाईल न0 ....

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र.

// खुली निविदा आमंत्रण सूचना//

न्यायिक जिला स्थापना, दतिया मुख्यालय दतिया, सिविल न्यायालय, भाण्डेर एवं सिविल न्यायालय, सेवढ़ा में कार्यरत न्यायालयों के उपयोग हेतु 16 नग बैटरी एवं 12 नग इनर्वटर (पुराने बैटरी को लौटाते हुए) मय इस्टोलेशन क्रय किये जाने बावत् सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जा रही है। इच्छुक व्यापारी/विक्रेता/संस्था/निर्माता अपनी निविदायें सीलबंद लिफाफे में पूर्ण जानकारी सहित कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दतिया में दिनांक 29.12.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक आवक-जावक शाखा में जमा कर सकते है। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से इनर्वटर व बैटरी प्रदाय हेतु निविदा लिखा जाना आवश्यक है। निविदायें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के नाम से प्रस्तुत की जावेगी। प्राप्त निविदांए दिनांक 02.01.2026 को सांय 05:00 बजे क्रय समिति के समक्ष निविदाकर्ता/प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदा की शर्ते एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिकृत बेवसाइट https:/mphc.gov.in जिला न्यायालय, दतिया की बेवसाइट https://datia.dcourts.gov.in एवं म.प्र. शासन की बेवसाईट https://mptenders.gov.in भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला दतिया म.प्र.